सरल कानूनी ज्ञान माला – 47

उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013

(The Uttarakhand Victim from Crime Assistance Scheme, 2013)

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, टोल फ्री नं० 1800 180 4072

ई–मेल : uaslsa_02@yahoo.co.in, ukslsanainital@gmail.com

लोक अदालतें क्या हैं ?

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- ऐसे अपराधिक मामलों को छोड़कर जिनमें समझौता गैर–कानूनी है, सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं।
- लोक अदालतों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है। अतः उसके फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है और वह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
- सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा रही है और व्यक्तियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

लोक अदालतों में अपने मामलों को नियत कैसे करायें ?

- जिस न्यायालय में आपका मामला विचारधीन है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें।
- दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें।
- लोक अदालत में वे मुकद्में ही निस्तारित कराये जा सकते हैं, जिनमें मुकद्में के समस्त पक्षकार सहमत हों।
- जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले सीधे स्थाई लोक अदालत में दायर कर निस्तारित कराये जा सकते हैं।

उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

(1) इस योजना का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 है।

(2) यह दिनांकः 31 दिसम्बर, 2009 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. परिभाषाएंः–

इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अधिनियम" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम सं॰ 2 वर्ष 1974) अभिप्रेत हैं,

(ख) "अनुसूची" से इस योजना के अन्तर्गत संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है,

(ग) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है,

(घ) "पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अपराध, ऐसिड अटैक, मानव तस्करी गम्भीर दुर्घटना आदि के कारण हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, इसमें पीड़ित व्यक्ति का आश्रित परिवार भी सम्मिलित है।

3. अपराध से पीड़ित सहायता कोषः–

(1) राज्य सरकार, अपराध से पीड़ित एक सहायता कोष की स्थापना करेगी। योजनान्तर्गत कोष से सहायता की राशि पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के आश्रितों को, जिनकी ऐसिड़ अटैक, मानव तस्करी, गम्भीर दुर्घटना आदि अपराधों के कारण हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, को अनुसूची 1 मे दी गई धनराशि का भुगतान यथा रीति किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार, इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष पृथक से आय–व्ययक में सहायता धनराशि आवंटित करेगी, जिसे इस हेतु स्थापित किये जाने वाले का प्रेस कार्पस फण्ड में रखा जायेगा। किसी राष्ट्रीयकृत बैक में सावधि जमा खाता खोलकर इस कोष की धनराशि जमा की जायेगी।

(3) सहायता कोष में विभिन्न स्रोतों से जो राजकीय अथवा अराजकीय हों दान, उपहार एवं अनुदान की धनराशि भी आय–व्ययक के अतिरिक्त मान्य होगी।

(4) सहायता कोष के लिए आय–व्ययक में स्वीकृति धनराशि पुलिस महानिदेशक के निर्वतन पर रखी जायेगी, जिसका भुगतान प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन एवं पुलिस महानिदेशक के संयुक्त हस्ताक्षरों से एकाउंट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा। जनपदों में भुगतान संबंधित जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा एकाउंट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा।

4. सहायता के लिए आर्हताः–

सहायता की राशि प्राप्त करने के लिए कोई पीड़ित व्यक्ति के आश्रित अर्ह होंगे, यदि–

(क) अपराधी नहीं पकड़ा गया हो अथवा उसकी शिनाख्त नहीं होई हो किन्तु पीड़ित की शिनाख्त हो गई हो और विचारण प्रचलित नहीं हुआ हो, ऐसा पीड़ित भी अधिनियम की धारा 357– "क" की उपधारा (4) के अधीन सहायता के लिए आवेदन कर सकेगा,

(ख) पीड़ित/दावाकर्ता प्रभारी मजिस्ट्रेट या क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट कर देता है,

परन्तु यह कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है तो रिपोर्ट में हुए विलम्ब को कारण अभिलिखित करते हुए मर्षित कर सकेगी।

(ग) पीड़ित / दावाकर्ता विवेचना एवं अभियोग के दौरान पुलिस एवं अभियोजन को सहयोग करे।

5. सहायता प्रदान करने की प्रक्रियाः—

(1) जब भी न्यायालय द्वारा कोई संस्तुति की जाती है अथवा अधिनियम की धारा 357—"क" की उपधारा (2) के अन्तर्गत पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कोई आवेदन किया जाता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मामले का परीक्षण करेगा और मामले के संसूचित आपराधिक गतिविधि के मध्य पीड़ित को उत्पन्न हुई हानि या क्षति कि दृष्टि से दावे के विवरणों को सत्यापित करेगा तथा सूचना की वास्तविकता के निर्धारण के क्रम में कोई अन्य सम्बद्ध आवश्यक सूचना को मगायेगा। दावे के सत्यापन के पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के उपबन्धों के अनुसरण में दो माह के भीतर सहायता की मात्रा का निर्धारण करेगा।

(2) इस योजना के अन्तर्गत सहायता का भुगतान इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि यदि विचारण न्यायालय द्वारा वाद की तारीख में अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन अभियुक्त व्यक्ति को सहायता के रूप में कोई धनराशि का भुगतान करने के आदेश पारित किये जाय तो पीड़ित व्यक्ति / दावाकर्ता आदेशित सहायता की धनराशि के बराबर की धनराशि वापस करेगा अथवा उक्त अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन आदेशित धनराशि का, भी कम हो, भुगतान करेगा। ऐसे प्रभाव के लिए पीड़िता व्यक्ति / दावाकर्ता द्वारा सहायता की धनराशि के भुगतान करने से पूर्व एक शपथ—पत्र दिया जायेगा।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित को हुई क्षति के आधार पर चिकित्सा पर आए चिकित्सा व्यय, दाह संस्कार के रूप में ऐसे आकस्मिक अधिभारों सहित पुनर्वास के लिए अपेक्षित

न्यूनतम आवश्यक धनराशि पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को दिए जाने वाले सहायता की मात्रा को निर्णीत करेगा। सहायता पृथक–पृथक मामलों में प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर भिन्न–भिन्न हो सकेगी।

(4) योजना के आधीन दिए जाने वाली सहायता की मात्रा, पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों जैसी स्थिति हो, निधि से वितरित की जाएगी।

(5) प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में पीड़ित द्वारा राज्य से प्राप्त सहायता अर्थात् बीमा, अनुग्रही अदायगी और/अथवा किसी अन्य अधिनियम अथवा राज्य द्वारा संचालित कोई योजना के अधीन प्राप्त भुगतान इन नियमों के अधीन सहायता की धनराशि के भाग के रूप में मानी जायेगी। यदि अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता धनराशि इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित सहायता धनराशि से अधिक या समतुल्य हो तो इस योजना से कोई भी सहायता धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

(6) मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं॰ 59 वर्ष 1988) के अन्तर्गत आच्छादित मामले जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर दिया है, इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होंगे।

(7) पीड़ित को परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण थानाध्यक्ष के प्रमाण–पत्र या क्षेत्र से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के प्रमाण–पत्र पर तत्काल प्राथमिक सुविधा या उपलब्ध चिकित्सा लाभ निःशुल्क या कोई अन्य अनुतोष जो उचित हो, आदेश पारित कर सकेंगे।

6. आदेश अभिलेखों में रखना:–

इस योजना के अन्तर्गत पारित सहायता धनराशि के भुगतान सम्बन्धी आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष रखना बाध्यकारी होगी, जिससे विचारण न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन आदेश पारित करने में सुलभता हो सके।

7. समयावधिः—

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357— "क" की उपधारा (4) के अधीन पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों द्वारा किए जाने वाला कोई दावा राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपराध के छः माह की अवधि के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा,

परन्तु यह कि राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है तो दावे को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण अभिलिखित करते हुए विलम्ब को मर्षित कर सकेगा।

8. अपीलः—

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सहायता की अस्वीकृति से व्यथित कोई पीड़ित 90 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है,

परन्तु यह कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है तो अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कारण अभिलिखित करते हुए मर्षित कर सकेगा।

अनुसूची–1

क्र॰ सं॰	हानि या क्षति का विवरण	सहायता की अधिकतम सीमा
1	**2**	**3**
1	बलात्कार	रू॰ 2,00,000 / –
2	मानव तस्करी से स्त्रियों और बच्चों को हुई मानसिक पीड़ा से क्षति	रू॰ 1,00,000 / –
3	मृत्यु	रू॰ 2,00,000 / –
4	गंभीर चोट के लिए भारतीय दण्ड विधान–1860 की धारा 320 में यथापरिभाषित	रू॰ 20,000 / –
5	तेजाब से हमला	
	(क) यदि चेहरा / सिर क्षतिग्रस्त हुआ हो	रू॰ 1,50,000 / –
	(ख) यदि अन्य अंग क्षतिग्रस्त हुये हों	रू॰ 30,000 / –
6	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से अधिक व 80 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हो	रू॰ 50,000 / –
7	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हो	रू॰ 10,000 / –
8	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जो 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो	रू॰ 1,00,000 / –
9	अप्राप्तवय का बलात्कार	रू॰ 2,50,000 / –
10	पुनर्वास	
	(क) बलात्कार पीड़िता के संदर्भ में	रू॰ 1,00,000 / –
	(ख) अन्य प्रकरणों के संदर्भ में	रू॰ 20,000 / –
11	बच्चों को साधारण क्षति या हानि	रू॰ 10,000 / –

The Uttarakhand Victim from Crime Assistance Scheme, 2013

1. **Short Title and Commencement**

(1) This scheme may be called the Uttarakhand Victim from Crime Assistance Scheme, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force from 31 December, 2009.

2. **Definition**

In this scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.2 of 1974);

(b) "Schedule" means Schedule appended to this Scheme;

(c) "State" means State of Uttarakhand;

(d) "Victim" means a person, who himself has suffered loss or injury as a result of crime, Acid attack, Human trafficking, Serious accident etc. and require rehabilitation and includes dependent family members.

3. **Victim from crime assistance Fund**

(1) The State Government shall establish a Victim from crime assistance Fund. Under this scheme shall be paid given amount in Schedule-1 as per manner to the victim person or his dependents, who have suffered loss or injury as a result of the crime, Acid attack, Human trafficking, Serious accident etc. and who require rehabilitation.

(2) The State Government shall allot a separate Assistance amount for this scheme which shall be deposited in a corpus fund established for this purpose. The amount of this fund shall be deposited in fixed deposit account of any Nationalised Bank.

(3) Donation, Gift and Grant in aid received from government or non-government sources shall be acceptable for Assistance Fund excluding allotted budget.

(4) The fund shall be operated by the Director General of Police and the assistance shall be paid by account payee cheque with joint signatures of the Principal Secretary/Secretary Home Department Government of Uttarakhand and Director General of Police. The payment in the District shall be made by the account payee cheque with the joint signature of the District Magistrate and Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police.

4. Eligibility for assistance

A Victim or the dependant of victim shall be eligible for the grant of assistance if,-

(a) the offender is not traced or identified, but the victim is identified, and where no trial takes place, such victim may also apply grant of compensation under sub Section (4) of Section 357-A of the Act;

(b) the victim/claimant report the crime to the Magistrate in charge or Judicial Magistrate of the area;

Provided that the District Legal Services Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing may condone the delay in reporting;

(c) the victim/claimant cooperate with the police and prosecution during the investigation and trial of the case.

5. Procedure for grant of assistance

(1) Whenever a recommendation is made by the Court or an application is made by any victim or his dependent under sub-Section (2) of Section 357-A of the Act to the District Legal Services Authority, the District legal Services Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury

caused to victim and arising out of the reported criminal activity and may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness. After verifying the claim, the District Legal Services Authority after due enquiry shall decide the amount of assistance within two months, in accordance with provisions of this Scheme.

(2) Assistance under this Scheme shall be paid subject to the condition that if the trial court while passing judgment at later date, orders the accused persons to pay any amount by way of assistance under sub-Section (3) of Section 357 of the Act, the victim/claimant shall remit an amount ordered equal to the amount of assistance, or the amount ordered to be paid under the said sub-Section (3) of Section 357 of the Act, whichever is less, an undertaking to this effect shall be given by the victim/claimant before the disbursal of the assistance amount.

(3) The District Legal Services Authority shall decide the quantum of assistance to be awarded to the victim or his dependents on the basis of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred on medical treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The assistance may vary from case to case depending on fact of each case.

(4) The quantum of assistance to be awarded to the Scheme shall be disbursed to the victim or his dependents, as the case may be, from the Fund.

(5) Assistance received by the victim from the State in relation to the crime in question, namely, insurance, ex-gratia and/or payment received under any other Act or State-run scheme shall be considered as part of the assistance amount under these rule and if the eligible assistance amount exceeds or is equivalent to the payments received by the victim from collateral sources

mentioned above, then no assistance amount shall be acceptable by this scheme.

(6) The cases covered under Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) wherein assistance is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal, shall not be covered under the Scheme.

(7) The District Legal Services Authority, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of the officer-in-charge of the police station or Magistrate of the area concerned, or any other interim relief as it may deem fit.

6. Order to be placed on record

Copy of the order of assistance passed under this Scheme shall be mandatorily placed before the trial Court to enable the court to pass order of assistance under sub-Section (3) of Section 357 of the Act.

7. Limitation

No claim made by the victim or his dependents under sub-Section (4) of Section 357-A of the Act shall be entertained after a period of six months of the crime by the State or District Legal Services Authority.

Provided that the State or District Legal Services Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the claim

8. Appeal

Any victim aggrieved of the denial of assistance by the District Legal Services Authority may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days;

Provided that the State Legal Services Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

Schedule-1

S. No.	Particulars of Loss or Injury	Maximum Limit of Assistance
1	2	3
1	Rape	Rs. 2,00,000/-
2	Loss of injury causing, severe mental agony to women and child victim in case like Human Trafficking	Rs. 1,00,000/-
3	Loss of life	Rs. 2,00,000/-
4	Grievous hurt as defined in Section 320 of the IPC 1860	Rs. 20,000/-
5	Injury caused by acid attract	
	(a) If face/head injured	Rs. 1,50,000/-
	(b) If other organs injured	Rs. 30,000/-
6	Loss of any limb or part of body resulting 40% and below 80% handicap.	Rs. 50,000/-
7	Loss of any limb or part of body resulting below 40% handicap.	Rs. 10,000/-
8	Loss of any limb or part of body resulting 80% or above handicap.	Rs. 1,00,000/-
9	Rape of Minor	Rs. 2,50,000/-
10	Rehabilitation	
	(a) In the case of rape victims	Rs. 1,00,000/-
	(b) In other cases	Rs. 20,000/-
11	Simple Loss or injury to Child victim.	Rs. 10,000/-

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ –

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   - (ग) स्त्री या बालक
   - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   - (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   - (च) औद्योगिक कर्मकार
   - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   - (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   - (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   - (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   - (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैश्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ों को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह एवं सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38.	सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39.	सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40.	सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41.	सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42.	सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43.	सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण सम्बन्धी सरकारी योजनाएं
44.	सरल कानूनी ज्ञान माला–44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45.	सरल कानूनी ज्ञान माला–45	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46.	सरल कानूनी ज्ञान माला–46	आपदा प्रबंधन
47.	सरल कानूनी ज्ञान माला–47	उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।

नोटः– क्रम संख्या 1 से 7, 9, 10 एवं 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कँवर अमनिन्दर सिंह
एच.जे.एस.
सदस्य सचिव

न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पन्त
कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

Designed & Printed by : **Mittal Enterprises**, Delhi. # Mob: 09811340726